न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट., चित्रकूट

राज्य **बनाम** राम गोपाल

4879/2026

चालान संख्या UP2620190927170624

धारा एम.वी.एक्ट.,

जिला चित्रकूट

दिनांक 10.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में वाहन संख्या UP96B8368 का परिवहन विभाग/ यातायात विभाग द्वारा उक्त अभियुक्त के विरूद्ध चालान एम.वी.एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। यातायात कर्वी/ परिवाहन विभाग द्वारा उक्त वाहन का चालान दिनांक 27.09.2019 को किया गया है।

उ0प्र0 दण्ड विधि **(अपराधों का शमन व विचारण का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1989 की धारा 9 में उ0प्र0 दण्ड विधि (अपराधों का शमन व विचारण का उपशमन) संशोधन अध्यादेश 2023 अधिसूचना संख्या 22–89–B–1–2023 क–2–2023– लखनऊ उ0प्र0 शासन दिनांकित 22.03.2023** के माध्यम से मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे मामले जो 31.12.2021 तक या उससे पूर्व न्यायालय में संस्थित किये गये है, ऐसे वादों को उपशमित करने का निर्देश दिया गया है।

अतः उक्त मामला उ0प्र0 दण्ड विधि अपराधों का शमन और विचारण का उपशमन संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 9(।) यथा संशोधित 2023 के प्रावधानों में आच्छादित होता है।

अतः उक्त संशोधन की दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत वाद उपशमित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद भारती)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चित्रकूट
J.O.Code–UP6469